न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 88/2023 दायर दिनांक–06.07.2023

1. बिमला देवी पत्नी रणजीत पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद बेरी तहसील व जिला सीकर

– वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनवाड़ी हाल आबाद बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
2. राजेश कुमार
3. महेन्द्र कुमार
4. प्रहलाद पुत्रान् भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाड़ी हाल आबाद ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
5. मंजू देवी पत्नी महेश कुमार पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाड़ी हाल आबाद ग्राम भानपुरा पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
6. 6. सुमन पत्नी शिशपाल पुत्री श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाड़ी हाल आबाद ग्राम भैरू का बास, झाझड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
7. बबीता पत्नी श्री शिशराम जाति जाट निवासी मोहनवाड़ी हाल आबाद भैरू का बास, झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुन् (राज०)
8. बिमला देवी पत्नी रणजीत पुत्री श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाडी हाल आबाद ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर (राज०)
9. छोटी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मोहनवाड़ी हाल आबाद ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
10. मन्नी देवी पत्नी धनाराम पुत्री श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनवाड़ी हाल आबाद निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
11. मैना देवी पत्नी श्री रणवीर पुत्री श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनवाड़ी हाल आबाद बेरी तहसील व जिला सीकर (राज०)
12. ग्रेसिम सीमेन्ट नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं प्रधान कार्यालय श्री श्यामकुज बसन्त विहार, सीकर जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता ए.वी.पी. रमेश कुमार मिश्रा
13. राकेश मिश्रा पुत्र श्री रमेशचन्द मिश्रा जाति ब्राहमण निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर पदेन ए.वी.पी. ग्रेसिम सीमेन्ट नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं प्रधान कार्यालय श्री श्यामकुज बसन्त विहार, सीकर।
14. उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
16. अल्ट्राटेक कम्पनी प्रधान कार्यालय श्री श्याम कुंज बसन्त विहार, सीकर तहसील व जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर

वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : रिकॉर्ड दुरूस्ती [illegible] घोषणार्थ घो[illegible] विधिक प्रास्थिति व शून्य घोषित किये जाने विक्रय पत्र [illegible]ांक [illegible].2010

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

—:: निर्णय ::—

दिनांक—13.11.2025

वादीयागण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वादिया व प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 11 के पिता भगवानाराम का स्वर्गवास 15 वर्ष पहले हो चुका है। स्वः भगवानाराम की मृत्यु के पश्चात भगवानाराम के वारिसानो में उनकी 7 पुत्रियां वादिया व प्रतिवादी नं० 6 लगायत 11 व 4 पुत्र प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 व पत्नी जीवित थे।

वाके ग्राम मोहनवाड़ी पटवार हल्का मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित नये भूमि खसरा नं० 144 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.31 है०, खसरा नम्बर 864/153 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 है० स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

वादिया व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 1 का जन्म ग्राम मोहनवाड़ी में स्व. भगवानाराम के घर में हुआ था, तथा वादिया की शादी वादिया के पिता के पैत्रिक घर ग्राम मोहनवाड़ी में हुई थी तथा वादिया व प्रतिवादी नं. 5 लगायत 11 की शादी में कन्यादान का दस्तूर भी वादिया के पिता स्व. भगवानाराम ने ही किया था।

वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत वादिया के पिता स्व. भगवानाराम ने अपनी जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नही की थी, अर्थात उपरोक्त वादग्रस्त भूमि भगवानाराम की निर्वसयति सम्पति रही है। जिसमे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादिया को भगवानाराम की सम्पति में 1/12 हिस्सा उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ था परन्तु प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 व इनकी माता मंशी देवी जो वर्तमान में फौत हो चुकी है, ने राजस्व कर्मचारियों से साजिस करके उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में भगवानाराम के वारिसो की जगह केवल प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 व इनकी माता मंशी देवी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जबकि वादिया ने अपने अंश को किसी भी प्रकार से प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 को अन्तरित नहीं किया है इस कारण वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत होने के कारण वादिया के हक, अधिकारो पर शून्य प्रभावी है।

प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 व इनकी माता मंशी देवी ने दिनांक 04.01.2010 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पक्ष में उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ में निष्पादित करवाया है, जो वादिया के हक अधिकारो पर शून्य प्रभावी है।

वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/12 हिस्सा है। वादिया ने वादग्रस्त भूमि में से अपने उक्त हिस्से को प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 को ना तो अन्तरित किया था, तथा ना ही वादिया ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 को अपने उक्त हिस्से को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत किया है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 की संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 11 के बराबर ही हक, अधिकार हिस्सा है अर्थात वादग्रस्त भूमि पर वादिया व प्रतिवादीगण नं0. 1 लगायत 11 का बराबर बराबर 1/12—1/12 हिस्सा है। इसी अनुसार हक अधिकार प्राप्त है, परन्तु प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 ने सम्पूर्णवादग्रस्त भूमि का विकय पत्र दिनांक 04.01.2010 को प्रतिवादी नं० 12 के पक्ष में तस्दीक करवाया है, जबकि वादिया ने अपने हिस्से की भूमि को विकय करने के लिए प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 को कभी अधिकृत नहीं किया था। इस प्रकार प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को विकय करने के लिए सक्षम नहीं होने के कारण उक्त विकय पत्र दिनांक 04.01.2010 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत है।

वादिया ने दिनाक 20.01.2012 को व अब वर्तमान में दिनांक 01.07.2023 को वादग्रस्त भूमि में अपने अंश को संभालने के लिए गई तथा अपने अंश में काम कर रही थी उस समय प्रतिवादी नं० 1 व 4 व प्रतिवादी नं0 12 व 13 आये, तथा वादिया को धमकी दी कि जमीन हमारी है आप यहां से चुपचाप चली जाओं इस पर वादिया ने कहा कि यह भगवानाराम की सम[illegible] मैं भगवानाराम की पुत्री हूँ इस कारण से इस जमीन में मेरा हक व हिस्सा है तो प्रतिवादी [illegible] 11 [illegible] ने वादिया को भगवानाराम की पुत्री मानने से इन्कार कर दिया एवं वादग्रस्त भूमि में से वादिया [illegible] व हिस्सा मानने से इन्कार कर दिया। इस कारण वादिया को यह वाद बा[illegible] करना आवश्यक हुआ है, एवंवादग्रस्त भूमि का विकय पत्र दिनांक 04.01.2010 वादिया द्वारा [illegible]दित नहीं किया गया है तथा ना ही विकय पत्र निष्पादित करने के लिए वादिया ने प्रतिवादी नं 1 लगायत 4 को अधिकृत किया है तथा ना ही प्रतिवादी नं० 1 लगायत 4 को सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का कानूनन अधिकार था. इस कारण उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

विकय पत्र कानून के प्रावधानो के विपरीत होने से शून्य प्रभावी दस्तावेज है इस कारण वादिया को याद बाबत शून्य प्रभावी घोषित करने के लिए विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 को पेश किया गया है उसको वादिया के हक अधिकार तक शून्य घोषित करने के लिए उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादिया अपने पिता स्व. श्री भगवानाराम की जायन्दा पुत्री है जिनका अपने पिता की सम्पति में 1/12 हिस्सा है तथा 1/12 हिस्सा है। प्रतिवादी नं० 1 लगायत 11 का है, वादिया अपने पिता की सम्पति में अपना हिस्सा 1/12 प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिया अपने अंश को संभालने के लिए गई तथा अपने अंश में काम कर रही थी उस समय प्रतिवादी नं0 12 व 13 आये, तथा वादिया को धमकी दी कि जमीन हमारी है आप यहां से चुपचाप चले जाओं वरना जबरदस्ती तुम्हे बेदखल कर देगें। इस प्रकार वादिया का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है अगर वादिया का वाद बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जाता है तो वादिया को भंयकर हकतलफी होगी जिसका खामियाजा किसी भी सुरत में संभव नही होगा तथा आगे से आगे मुकदमे बाजी बढ़ती जायेगी तथा समय व धन की बर्बादी होगी। इसलिए प्रतिवादी नं0 12 व 13 को स्थाई व्यादेश से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद बाबत स्थाई व्यादेश श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

प्रतिवादी नं. 10 व 11 ने अपने हक व हिस्से की घोषणा श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश करके दिनांक 20.04.2022 को घोषित करवा लिया है।

उक्त वाद के लिए वादकारण वादिया अपने पिता स्व. भगवानाराम की पुत्री होने के रोज, प्रतिवादी नं0 12 व 13 द्वारा वादिया को स्व. भगवानाराम की पुत्री मानने से इन्कार होने के रोज, दिनांक 01.07.2023 को प्रतिवादी नं0 12 व 13 द्वारा वादिया को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने के रोज दिनांक 04.01.2012 को विकय पत्र तस्दीक होने के रोज, तथा दिनांक 25.01.2012 को विकय पत्र की नकल लेने पर उक्त शून्य प्रभावी की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।

वादी वाद पेशकर श्रीमान से निम्न अनुतोष की मॉग करते है :– वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वादिया बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि ग्राम भोजनगर पटवार हल्का मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित स्थित नये भूमि खसरा नं0 144 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.31 है०, खसरा नम्बर 864/153 रकबा 0.03 है० कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 है० में वादिया को 1/12 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को स्थाई व्यादेश से पाबन्द फरमाया जावें कि ग्राम मोहनवाड़ी पटवार हल्का मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में मोहनवाड़ी स्थित नये भूमि खसरा नं0 144 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.31 है०, खसरा नम्बर 864ध153 रकबा 0.03 है० कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 है0 में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करे, खुर्द–बुर्द नही करें, उक्त कृत्य ना तो स्वयं करें ओर ना ही अपने किसी नौकर–चाकर आदि से करवाये।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम नही की गई। शहादत वादी हेतु बिमला देवी, रणजीत सिंह तथा उम्मेद कुमार के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 ए0सी0ई0एम0 नवलगढ़ का निर्णय की प्रतिलिपि दिनांक 24.04.2022, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2057–60, प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2053–56, प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2045 प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी प्रदर्श 8 नकल जमांबदी प्रदर्श 9 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस उपरोक्त पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया व साक्ष्य दस्तावेजी का अवलोकन किया गया। वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण के पिता स्व. भगवानाराम ने अपनी जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी, अर्थात उपरोक्त वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

भगवानाराम की निर्वसियती सम्पति रही है, जिसमें हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादीया भगवानाराम की सम्पति में 1/12 हिस्सा उतराधिकार में प्राप्त हुआ है, परन्तु वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में भगवानाराम के वारिसों की जगह केवल प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 का नाम दर्ज कर दिया जबकि बादीगण ने अपने अंश को किसी भी प्रकार से प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अन्तरित नहीं किया है। इस प्रकार बादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत होने के कारण वादीया के हक, अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने दिनांक 04.01.2010 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 12 व 13 के पक्ष में उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ में निष्पादित करवाया है, जो वादीया के हक अधिकार पर शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त भूमि के वादीय का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा है। वादीया ने वादग्रस्त भूमि में से अपने उक्त हिस्सो को प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 5 को ना तो अन्तरित किया, ना ही वादीया ने प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 को अपने उक्त हिस्से को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 की संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि में वादीया व प्रतिवादी नम्बर 06 लगातय 11 के बराबर ही हक, अधिकार हिस्सा है। अर्थात वादग्रस्त भूमि पर वादीया व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 11 का बराबर–बराबर 1/12–1/12 हिस्सा है। इसी अनुसार हक, अधिकार प्राप्त है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय–पत्र दिनांक 04.01.2010 को प्रतिवादी नम्बर 12 व 13 के पक्ष में तस्दीक करवाया है, जबकि वादीया ने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 05 को कभी अधिकृत नहीं किया था। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने के लिए सक्षम नही होने के कारण उक्त विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। वादीया अपने पिता स्वर्गीय श्री भगवानाराम की जायन्दा पुत्रियां है, जिनका अपने पिता की सम्पति में 1/12–1/12 हिस्सा है, जो प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 11 का है। वादीया अपने पिता की सम्पति में अपना हिस्सा 1/12–1/12 प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस प्रकार वादीया का प्रथम दृष्टया मामला है, तथा सुविधा का संतुलन भी वादीया के पक्ष में पड़ता है, प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 05 व 12 व 13 अपनी नाजायज मंशा में सफल होकर वादीया के हक अधिकारों कुठारधात हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 12 व 13 को स्थाई व्यादेश से पाबन्ध फरमाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। वादीया द्वारा याचित किये गये अनुतोष खण्ड पैरा संख्या 15 मे मुख्य अनुतोष (क) वादीगण को मृतक भगवानाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी ग्राम मोहनवाडी की पुत्रियां होने के कारण विवादित भूमि में से वादीया 1/12 अंश प्राप्त करने की अधिकारिणी होने की घोषणा किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि उक्त अनुतोष वादीया के वाद पत्र में अंकित अभिवचनों के अधार पर पर कृषि भूमि से संबंधित है जो घोषणा संबंधी अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि विभाजन, घोषणा से संबंधित समस्त वाद राजस्व न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में निहित है। यहां प्रकरण में मुख्य बिन्दु वादिया के 1/12 हिस्से का है। विवादग्रस्त भूमि शुरू से भगवानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है जो दस्तावेजी साक्ष्य 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2057–60, प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2053–56, प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2043 से सिद्ध होता है। ग्राम मोहनवाडी के खाता संख्या 144 पुराना 139 की जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 में भूमि के खातेदार भगवानाराम पुत्र लक्ष्मण राम कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भगवानाराम का फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 543 दिनांक 20.08.2008 के द्वारा केवल दयाराम, राजेश, प्रहलाद, महेन्द्र कुमार पिता भगवानाराम तथा मंशी देवी पत्नी भगवानाराम के नाम दर्ज किया गया है जबकि भगवानाराम की जायन्दा पुत्रिया जो वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 10 है. को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत रूप से वंचित कर दिया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में समस्त वारिसों का हक हिस्सा रहता है तथा पिता की सम्पति में पुत्रियों का हक अधिकार बराबर–बराबर होता है। वादीया के भाईयों बहनों व माता ने आपस में मिलकर दिनांक 04.01.2010 की सम्पूर्ण [illegible] प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के पक्ष में उप पंजीयक नवलगढ़ में तस्दीक करवाया है, जबकि हिन्दू [illegible] अधिनियम के तहत वह भी 1/12 हिस्से की अधिकारिणी है जो विक्रय पत्र [illegible] होता है। [illegible] विक्रय पत्र को वादीया के हक हिस्से तक शून्य किया जाना न्यायोचित है। उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] होता है कि विवादग्रस्त भूमि स्व0 भगवारानाराम की खातेदारी में दर्ज [illegible] फौत होने पर विवादग्रस्त भूमि का विरासत का नामान्तरकण संख्या 543 दिनांक 20.08.08 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम ही गलत रूप से दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण में वादीया एवं प्रतिवादीगण 6 लगायत 11 को पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट। फास्ट-ट्रेक। नवलगढ़

की सम्पति से वंचित कर दिया गया। विवादग्रस्त भूमि वादीया को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत एंव न्यायोचित है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीया स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम मोहनवाडी की सरहद में स्थित भूमि नया खसरा नम्बर 144 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 864ध153 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 हेक्टर में वादिया को हिस्सा 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उपपंजीयक कार्यालय से तस्दीक विक्रय–पत्र दिनांक 04.01.2010 को वादीया के हिस्से भूमि की हद तक शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादिया के हक हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। तद्नानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : रिकॉर्ड दुरूस्ती व घोषणार्थ घोषित करने विधिक प्रास्थिति व शून्य घोषित किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010

मुकदमा संः– 88/2023 **(बिमला देवी बनाम दयाराम आदि)**

अंतिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.11.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम मोहनवाडी की सरहद में स्थित भूमि नया खसरा नम्बर 144 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 3.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 864/153 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.44 हेक्टर में वादिया को हिस्सा 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उपपंजीयक कार्यालय से तस्दीक विक्रय–पत्र दिनांक 04.01.2010 को वादीया के हिस्से भूमि की हद तक शून्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादिया के हक हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.11.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested